



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3145]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 14, 2017/कार्तिक 23, 1939

No. 3145]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 14, 2017/KARTIKA 23, 1939

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2017

**विषय :** सार्वजनिक क्रय (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश 2017- आदेश के अनुक्रम में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को अधिसूचित करना ।

**संदर्भ :** औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) की दिनांक 15.6.2017 की अधिसूचना संख्या पी-45021/2/2017-बी.ई.-II ।

**का.आ. 3586(अ).**—भारत सरकार ने आय और रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य 'मेक इन इंडिया' को प्रोत्साहित करने और भारत में माल तथा सेवाओं के विनिर्माण को बढ़ावा देने और संवर्धन के लिए औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) की दिनांक 15.6.2017 की अधिसूचना संख्या पी-45021/2/2017-बी.ई.-II के जरिए सार्वजनिक क्रय (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश, 2017 जारी किया है ।

2. ऊपर दिए गए संदर्भ के जरिए अधिसूचित सार्वजनिक क्रय (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश, 2017 के अनुक्रम में और दिनांक 23.12.2013 की अधिसूचना संख्या 33(3)/2013- आईपीएचडब्ल्यू के जरिए अधिसूचित सरकारी क्रय में घरेलू स्तर पर विनिर्मित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को वरीयता देने के लिए नीति और उसके तहत जारी की गई इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) एतद्वारा यह अधिसूचित करता है कि उपर्युक्त आदेश के अनुसार सभी क्रमकर्ता निकायों द्वारा घरेलू स्तर पर विनिर्मित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को वरीयता दी जाएगी ।

3. सार्वजनिक क्रय (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश, 2017 के अंतर्गत निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को अधिसूचित किया जाता है :

### 3.1 डेस्कटॉप पर्सनल कम्प्यूटर (पीसी)

#### (क) परिभाषा:

इस अधिसूचना के उद्देश्य से एक डेस्कटॉप पीसी में आवश्यक रूप से एक सीपीयू, मेमोरी, हार्ड डिस्क ड्राइव, की-बोर्ड, माउस और एक अलग या एकीकृत डिस्प्ले युनिट होगी तथा इसे स्वतंत्र रूप से कार्य करने में समर्थ होना चाहिए।

#### (ख)

खरीद का प्रतिशत जिसके लिए घरेलू स्तर पर विनिर्मित डेस्कटॉप पीसी को प्राथमिकता दी जानी है (मूल्य शर्तों में)	घरेलू स्तर पर विनिर्मित के रूप में अर्हता के लिए डेस्कटॉप पीसी हेतु आवश्यक बिल ऑफ मटीरियल (बीओएम) के संदर्भ में स्थानीय मात्रा या घरेलू मूल्यवर्धन का प्रतिशत
50%	45%

#### (ग) घरेलू के तौर पर वर्गीकृत किए जाने के लिए बीओएम के मानदण्ड:

डेस्कटॉप पीसी का घरेलू बीओएम, निम्नलिखित तालिका के स्तंभ-1 में यथा विनिर्दिष्ट मुख्य इनपुटों की लागत का योग होगा बशर्ते कि इनपुट अलग-अलग स्तंभ-2 में विनिर्दिष्ट मूल्य वर्धन की आवश्यकता को पूरा करें:

बीओएम में प्रमुख इनपुट/डेस्कटॉप पीसी के विनिर्माण के लिए चरण	इनपुट को घरेलू बीओएम के तौर पर वर्गीकृत किए जाने के लिए आवश्यक मूल्य वर्धन
1	2
प्रोसेसर	घरेलू एटीएमपी/फेब्रीकेशन या दोनों
मेमोरी	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित बेयर पीसीबी/घरेलू एटीएमपी/फेब्रीकेशन/या संयोजन पर आयातित मेमोरी चिप्स की घरेलू असेंबली
हार्ड डिस्क ड्राइव	आयातित/ देशी स्तर पर विनिर्मित कलपुर्जों संघटकों से घरेलू असेंबली और परीक्षण
एलसीडी मॉनीटर	आयातित एलसीडी पैनल से घरेलू, असेंबली जिसमें प्लास्टिक मोल्लिंग और मेटल पार्ट की स्टैम्पिंग घरेलू स्तर पर की जाती है और एलसीडी पैनल का परीक्षण/घरेलू फेब्रीकेशन या दोनों किया जाता है।
डीवीडी ड्राइव	आयातित/स्वदेशी रूप से विनिर्मित कलपुर्जों और संघटकों से घरेलू असेंबली और परीक्षण
केबिनेट + एसएमपीएस	घरेलू स्तर पर विनिर्मित कैबिनेट और आयातित/ स्वदेशी स्तर पर विनिर्मित कलपुर्जों और संघटकों से एसएमपीएस की घरेलू स्तर पर असेंबली और परीक्षण इस शर्त के बशर्ते होंगे कि 'एसएमपीएस' की असेंबली में प्रयुक्त घरेलू स्तर पर विनिर्मित कलपुर्जों और संघटकों का मूल्य न्यूनतम 20% ("एसएमपीएस" के विनिर्माण में प्रयुक्त संघटक और कल पुर्जों के कुल मूल्य का) होगा।
की बोर्ड /माउस	आयातित/ देशी स्तर पर विनिर्मित कलपुर्जों संघटकों से घरेलू असेंबली और परीक्षण
मदरबोर्ड	बेयर पीसीबी के मूल्य के अलावा आयातित/ देशी स्तर पर विनिर्मित कलपुर्जों और संघटकों से घरेलू असेंबली और परीक्षण

बीओएम में प्रमुख इनपुट/डेस्कटॉप पीसी के विनिर्माण के लिए चरण	इनपुट को घरेलू बीओएम के तौर पर वर्गीकृत किए जाने के लिए आवश्यक मूल्य वर्धन
बेयर पीसीबी	आयातित/स्वदेशी स्तर पर विनिर्मित इनपुटों से घरेलू स्तर पर विनिर्मित
(i) अंतिम असेंबली/परीक्षण और (ii) डिज़ाइन/विकास	(i) घरेलू स्तर पर असेंबल/परीक्षित और (ii) उपरोक्त आइटमों में से किसी आइटम के लिए बौद्धिक सम्पदा (आईपी) अधिकार रखने वाला व्यक्ति भारत का निवासी हो। उपरोक्त आइटमों में से किसी आइटम के लिए भारत में आईपी निवासी के मूल्य को घरेलू बीओएम में उसके मूल्य से घटाया जाएगा।

### 3.2 लैपटॉप पर्सनल कम्प्यूटर (पीसी)

#### (क) परिभाषा:

इस अधिसूचना के उद्देश्य से किसी लैपटॉप पीसी (जिसे आम तौर पर बाजार में लैपटॉप/नोटबुक/नेटबुक/अल्ट्राबुक, इत्यादि के नाम से जाना जाता है) में आवश्यक रूप से एक सीपीयू, मेमोरी, हार्ड डिस्क ड्राइव, की बोर्ड, टच पैड और / या ट्रैकप्व्वाइंट, एक एकीकृत डिस्प्ले यूनिट, एकीकृत बैटरी शामिल होगी और इसे स्वतंत्र रूप से कार्य करने में समर्थ होना चाहिए।

#### (ख)

खरीद का प्रतिशत जिसके लिए घरेलू स्तर पर विनिर्मित लैपटॉप पीसी को प्राथमिकता दी जानी है (मूल्य शर्तों में)	घरेलू स्तर पर विनिर्मित के रूप में अर्हता के लिए लैपटॉप पीसी हेतु आवश्यक बिल ऑफ मटीरियल (बीओएम) के संदर्भ में घरेलू मूल्यवर्धन का प्रतिशत
50%	40%

(ग) घरेलू के तौर पर वर्गीकृत किए जाने के लिए बीओएम के मानदण्ड:

लैपटॉप पीसी का घरेलू बीओएम निम्नलिखित तालिका के स्तंभ-1 में यथा विनिर्दिष्ट मुख्य इनपुटों की लागत का योग होगा बशर्ते कि इनपुट अलग-अलग स्तंभ-2 में विनिर्दिष्ट मूल्य वर्धन की आवश्यकता को पूरा करें :

बीओएम में प्रमुख इनपुट/लैपटॉप पीसी के विनिर्माण के लिए चरण	इनपुट को घरेलू बीओएम के तौर पर वर्गीकृत किए जाने के लिए आवश्यक मूल्य वर्धन
1	2
हार्ड डिस्क ड्राइव	आयातित/ देशी स्तर पर विनिर्मित कलपुर्जों और संघटकों से घरेलू असेंबली और परीक्षण
डिस्प्ले पैनल (एलसीडी, एलईडी, इत्यादि) + बैक कवर + बेज़ेल	आयातित/देशी स्तर पर विनिर्मित डिस्प्ले पैनल, बैक कवर और बेज़ेल या संयोजन से घरेलू असेंबली और परीक्षण बशर्ते कि (i) बैक कवर घरेलू स्तर पर विनिर्मित होगा और (ii) बैक लाइट असेंबली और डिस्प्ले पैनल का परीक्षण घरेलू स्तर पर किया जाएगा।
डीवीडी ड्राइव	आयातित/स्वदेशी रूप से विनिर्मित कलपुर्जों और संघटकों से घरेलू असेंबली और परीक्षण
कैबिनेट + मदरबोर्ड + पावर माँड्यूल	बेयर पीसीबी और सेमीकंडक्टर बीओएम (यानि मदरबोर्ड पर

बीओएम में प्रमुख इनपुट/लैपटॉप पीसी के विनिर्माण के लिए चरण	इनपुट को घरेलू बीओएम के तौर पर वर्गीकृत किए जाने के लिए आवश्यक मूल्य वर्धन
	सेमीकंडक्टर चिप्स और माँड्यूल) के मूल्य के अलावा आयातित/देशी स्तर पर विनिर्मित कैबिनेट,मदरबोर्ड, पावर माँड्यूल या संयोजन से घरेलू स्तर पर असेंबली और परीक्षण बशर्ते कि: (i) “मदरबोर्ड + पावर माँड्यूल” की असेंबली में प्रयुक्त घरेलू स्तर पर विनिर्मित कलपुर्जों और संघटकों का मूल्य न्यूनतम 20% (“मदरबोर्ड + पावर माँड्यूल” के विनिर्माण में प्रयुक्त कलपुर्जों और संघटकों के कुल मूल्य का) होगा। (ii) कैबिनेट का विनिर्माण घरेलू स्तर पर किया जायेगा।
सेमीकंडक्टर (यानि मदरबोर्ड पर सेमीकंडक्टर चिप्स और माँड्यूल)	मदरबोर्ड के केवल उन सेमीकंडक्टर चिप्स और माँड्यूल (प्रोसेसर और मेमोरी सहित) के मूल्य में से घरेलू स्तर पर डिज़ाइन (जिसके लिए आईपी भारत में निवासी के पास है) के मूल्य को घटाया जाए जिस पर एटीएमपी प्रचालन घरेलू स्तर पर किए जाते हैं, को घरेलू बीओएम* के तौर पर लिया जाएगा।
बेयर पीसीबी	आयातित/स्वदेशी स्तर पर विनिर्मित इनपुटों से घरेलू स्तर पर विनिर्मित
पावर एडाप्टर	आयातित/ स्वदेशी स्तर पर विनिर्मित पुर्जों और संघटकों से घरेलू असेंबली और परीक्षण बशर्ते कि “पावर एडाप्टर ” की असेंबली में प्रयुक्त घरेलू स्तर पर विनिर्मित पुर्जों और संघटकों का मूल्य न्यूनतम 40% (“पावर एडाप्टर” के विनिर्माण में प्रयुक्त पुर्जों और संघटकों के कुल मूल्य का) होगा।
कीबोर्ड/टचपैड और/ या ट्रैक प्वाइंट	आयातित/ देशी स्तर पर विनिर्मित कलपुर्जों संघटकों से घरेलू असेंबली और परीक्षण
बैटरी	आयातित/ देशी स्तर पर विनिर्मित कलपुर्जों संघटकों से घरेलू असेंबली और परीक्षण
(iii) अंतिम असेंबली/परीक्षण और (iv) डिज़ाइन/विकास	(i) घरेलू स्तर पर असेंबल/परीक्षित और (ii) उपरोक्त आइटमों में से किसी आइटम के लिए बौद्धिक सम्पदा (आईपी) अधिकार रखने वाला व्यक्ति भारत का निवासी हो। उपरोक्त आइटमों में से किसी आइटम के लिए भारत में आईपी निवासी के मूल्य को उसके घरेलू बीओएम के मूल्य में से घटाया जायेगा।

\*जब भारत में सेमीकंडक्टर फैब प्रचालनरत है तब इसका भी पुनरावलोकन किया जाए।

### 3.3 टेबलैट पर्सनल कम्प्यूटर (पीसी)

#### (क) परिभाषा :

इस अधिसूचना के उद्देश्य से, एक टेबलैट पीसी में आवश्यक रूप से एक ऑन बोर्ड सीपीयू/प्रोसेसर, मेमोरी और पावर माँड्यूल के साथ एक एकीकृत मदरबोर्ड, डिस्प्ले पैनल (टच पैनल + एलसीडी/एलईडी माँड्यूल) और एकीकृत बैटरी होगी तथा इसे स्वतंत्र रूप से कार्य करने में समर्थ होना चाहिए।

(ख)

खरीद का प्रतिशत जिसके लिए घरेलू स्तर पर विनिर्मित टैबलेट पीसी को प्राथमिकता दी जानी है (मूल्य शर्तों में)	घरेलू स्तर पर विनिर्मित के रूप में अर्हता के लिए टैबलेट पीसी हेतु आवश्यक बिल ऑफ मटीरियल (बीओएम) के संदर्भ में घरेलू मूल्यवर्धन का प्रतिशत
50%	45%

(ग) घरेलू के तौर पर वर्गीकृत किए जाने के लिए बीओएम के मानदण्ड:

टैबलेट पीसी का घरेलू बीओएम, निम्नलिखित तालिका के स्तंभ-1 में यथा विनिर्दिष्ट मुख्य इनपुटों की लागत का जोड़ होगा बशर्ते कि इनपुट अलग-अलग स्तंभ-2 में विनिर्दिष्ट मूल्य वर्धन आवश्यकता को पूरा करें :

बीओएम में प्रमुख इनपुट/टैबलेट पीसी के विनिर्माण के लिए चरण	इनपुट को घरेलू बीओएम के तौर पर वर्गीकृत किए जाने के लिए आवश्यक मूल्य वर्धन
1	2
डिस्प्ले पैनल (टच पैनल+एलसीडी/एलईडी मॉड्यूल)	आयातित/ देशी स्तर पर विनिर्मित टच पैनल, एलसीडी/एलईडी मॉड्यूल या संयोजन से घरेलू असेंबली और परीक्षण बशर्ते कि डिस्प्ले पैनल की बैकलाइट असेंबली और परीक्षण घरेलू स्तर पर किया जाएगा ।
ऑनबोर्ड सीपीयू/प्रोसेसर, मैमोरी और पावर मॉड्यूल के साथ एकीकृत मदरबोर्ड	बेयर पीसीबी और सेमीकंडक्टर बीओएम (यानि एकीकृत मदरबोर्ड पर सेमीकंडक्टर चिप्स और मॉड्यूल) के मूल्य के अलावा आयातित/ देशी स्तर पर विनिर्मित कलपुर्जों संघटकों से घरेलू असेंबली और परीक्षण बशर्ते कि "एकीकृत मदरबोर्ड" की असेंबली में प्रयुक्त घरेलू स्तर पर विनिर्मित कल पुर्तों और संघटकों का मूल्य न्यूनतम 20% ("पावर एडाप्टर" के विनिर्माण में प्रयुक्त कलपुर्जों और संघटकों के कुल मूल्य का) होगा ।
सेमीकंडक्टर (यानि मदरबोर्ड पर सेमीकंडक्टर चिप्स और मॉड्यूल)	एकीकृत मदरबोर्ड के केवल उन सेमीकंडक्टर चिप्स और मॉड्यूल (प्रोसेसर और मेमोरी सहित) के मूल्य में से घरेलू स्तर पर डिज़ाइन (जिसके लिए आईपी भारत में निवासी के पास है) के मूल्य को घटाया जाए जिस पर एटीएमपी प्रचालन घरेलू स्तर पर किए जाते हैं, को घरेलू बीओएम* के तौर पर लिया जाएगा ।
बेयर पीसीबी	आयातित/स्वदेशी स्तर पर विनिर्मित इनपुटों से घरेलू स्तर पर विनिर्मित
पावर एडाप्टर	आयातित/ स्वदेशी स्तर पर विनिर्मित पुर्जों और संघटकों से घरेलू असेंबली और परीक्षण बशर्ते कि "पावर एडाप्टर " की असेंबली में प्रयुक्त घरेलू स्तर पर विनिर्मित पुर्जों और संघटकों का मूल्य न्यूनतम 40% ("पावर एडाप्टर" के विनिर्माण में प्रयुक्त पुर्जों और संघटकों के कुल मूल्य का) होगा ।

केसिंग	घरेलू स्तर पर विनिर्मित केसिंग
बैटरी	आयातित/ देशी स्तर पर विनिर्मित कलपुर्जों संघटको से घरेलू असेंबली और परीक्षण
सहायक उपकरण (कैमरा, स्पीकर, वाई-फाई एन्टीना इत्यादि)	आयातित/ देशी स्तर पर विनिर्मित कलपुर्जों संघटको से घरेलू असेंबली और परीक्षण
(i) अंतिम असेंबली/परीक्षण और (ii) डिज़ाइन/विकास	(i) घरेलू स्तर पर असेंबल/परीक्षित और (ii) उपरोक्त आइटमों में से किसी आइटम के लिए बौद्धिक सम्पदा (आईपी) अधिकार रखने वाला व्यक्ति भारत का निवासी हो। उपरोक्त आइटमों में से किसी आइटम के लिए भारत में आईपी निवासी के मूल्य को उसके घरेलू बीओएम के मूल्य में से घटाया जायेगा।

\*जब भारत में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्रचालनरत है तब इसका भी पुनरावलोकन किया जाए।

### 3.4 डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर

#### (क) परिभाषा:

डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक प्रकार का इंपैक्ट प्रिंटर है जो 0.2 एमएम से 0.3 एमएम तक के व्यास की एक मेटल पिन द्वारा पेपर पर एक बिंदु बनाता है और यह सॉलिनायड सिद्धांत के आधार पर इलेक्ट्रोमैग्नेट द्वारा चलता है तथा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हेड के हॉरिजोन्टल और वर्टिकल रिज़ाल्युशन द्वारा अपेक्षित कैरेक्टर मैट्रिक्स तैयार होता है। पिन के मैकेनिकल दबाव के आधार पर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कार्बन कॉपियां और कार्बनलैस कॉपियां तैयार की जा सकती है।

#### (ख)

खरीद का प्रतिशत जिसके लिए घरेलू स्तर पर विनिर्मित डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को प्राथमिकता दी जानी है (मूल्य शर्तों में)	घरेलू स्तर पर विनिर्मित के रूप में अर्हता के लिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के लिए आवश्यक बिल ऑफ मटीरियल (बीओएम) के संदर्भ में घरेलू मूल्यवर्धन का प्रतिशत
50%	55%

#### II (ग) घरेलू के तौर पर वर्गीकृत किए जाने के लिए बीओएम के मानदण्ड:

डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का घरेलू बीओएम, निम्नलिखित तालिका के स्तंभ-1 में यथा विनिर्दिष्ट मुख्य इनपुटों की लागत का जोड़ होगा बशर्ते कि इनपुट अलग-अलग स्तंभ-2 में विनिर्दिष्ट मूल्य वर्धन आवश्यकता को पूरा करें:

बीओएम में प्रमुख इनपुट/ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के विनिर्माण के लिए चरण	इनपुट को घरेलू बीओएम के तौर पर वर्गीकृत किए जाने के लिए आवश्यक मूल्य वर्धन
1	2
प्रमुख पीसीबी	आयातित/ देशी स्तर पर विनिर्मित कलपुर्जों और संघटको से घरेलू असेंबली और परीक्षण बशर्ते कि बेयर पीसीबी को छोड़कर "प्रमुख पीसीबी" की असेंबली में प्रयुक्त घरेलू स्तर पर विनिर्मित पुर्जों और संघटकों का मूल्य न्यूनतम 15% ("प्रमुख पीसीबी" के विनिर्माण में प्रयुक्त पुर्जों और संघटकों के कुल मूल्य का) होगा।
बेयर पीसीबी	आयातित/स्वदेशी स्तर पर विनिर्मित इनपुटों से घरेलू स्तर पर विनिर्मित

बीओएम में प्रमुख इनपुट/ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के विनिर्माण के लिए चरण	इनपुट को घरेलू बीओएम के तौर पर वर्गीकृत किए जाने के लिए आवश्यक मूल्य वर्धन
एसएमपीएस	आयातित/ घरेलू स्तर पर विनिर्मित कलपुर्जों घरेलू स्तर पर विनिर्मित कैबिनेट और असेंबली और परीक्षण इस शर्त के बशर्ते होंगे कि 'एसएमपीएस' की असेंबली ने प्रयुक्त घरेलू स्तर पर विनिर्मित कलपुर्जों और संघटकों का मूल्य न्यूनतम 20% ("एसएमपीएस" के विनिर्माण ने प्रयुक्त संघटक और कल पुर्जों के कुल मूल्य का) होगा।
कैरिज मोटर्स और पेपर फ्रीड मोटर्स	इसका आयात सब असेंबली के तौर पर किया गया और मुख्य प्रिंटर तंत्र के साथ-साथ इसका घरेलू स्तर पर परीक्षण किया गया।
फ्रंट कंट्रोल पैनल	आयातित/ देशी स्तर पर विनिर्मित कलपुर्जों संघटकों से घरेलू असेंबली और परीक्षण
होम पोजिशन/पेपर एण्ड सेंसर	आयातित/ देशी स्तर पर विनिर्मित कलपुर्जों संघटकों से घरेलू असेंबली और परीक्षण
प्रमुख प्रिंटर कैबिनेट और अन्य छोटे प्लास्टिक संघटक	प्रिंटर कैबिनेट और अन्य भागों की घरेलू मोल्डिंग
प्रिंटर मैकेनिज्म असेंबली	स्वदेशी रूप से विनिर्मित रबड़ प्लेट्स, रबड़ के छोटे भाग, शीट मेटल संघटक, प्लास्टिक गियर और टर्न्ड स्टील शाफ्टों सहित अन्य प्लास्टिक के भाग तथा उल्लिखित सेंसरों और मोटर्स का प्रयोग करते हुए घरेलू असेंबली।
प्रिंट हैड और इंटरकनेक्टिंग केबल्स	आयातित/ देशी स्तर पर विनिर्मित कलपुर्जों संघटकों से घरेलू असेंबली और परीक्षण
(i) अंतिम असेंबली/परीक्षण और (ii) डिज़ाइन/विकास	(i) घरेलू स्तर पर असेंबल/परीक्षित और (ii) उपरोक्त आइटमों में से किसी आइटम के लिए बौद्धिक सम्पदा (आईपी) अधिकार रखने वाला व्यक्ति भारत का निवासी हो। उपरोक्त आइटमों में से किसी आइटम के लिए भारत में आईपी निवासी के मूल्य को घरेलू बीओएम में उसके मूल्य से घटाया जाएगा।

### 3.5 स्मार्ट कार्ड

#### (क) परिभाषा :

इस अधिसूचना के उद्देश्य से, स्मार्ट कार्ड आमतौर पर क्रेडिट कार्ड के आकार का एक प्लास्टिक कार्ड होता है जिसके अंदर एक इंटीग्रेटेड सर्किट (आईसी) होता है। इस आईसी में एक माइक्रोप्रोसेसर और मेमोरी होती है। स्मार्ट कार्ड कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्टलैस, या ड्यूअल इंटरफ़ेस (कॉन्टेक्ट और कॉन्टेक्टलैस दोनों) हो सकते हैं। स्मार्ट कार्ड की कुछ एप्लीकेशन हैं – पहचानपत्र, बैंकिंग कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड, वाहन पंजीकरण कार्ड इत्यादि।

#### (ख) कॉन्टेक्ट स्मार्ट कार्ड

खरीद का प्रतिशत जिसके लिए घरेलू स्तर पर विनिर्मित कॉन्टेक्ट स्मार्ट कार्ड को प्राथमिकता दी जानी है (मूल्य शर्तों में)	घरेलू स्तर पर विनिर्मित के रूप में अर्हता के लिए कॉन्टेक्ट स्मार्ट कार्ड के लिए आवश्यक बिल ऑफ मटीरियल (बीओएम) के संदर्भ में घरेलू मूल्यवर्धन का प्रतिशत
50%	65%

**I (ग) कॉन्टेक्ट स्मार्ट कार्डों के लिए घरेलू के तौर पर वर्गीकृत किए जाने के लिए बीओएम के मानदण्ड**

कॉन्टेक्ट स्मार्ट कार्ड का घरेलू बीओएम, निम्नलिखित तालिका के स्तंभ-1 में यथा विनिर्दिष्ट मुख्य इनपुटों की लागत का जोड़ होगा बशर्ते कि इनपुट अलग-अलग स्तंभ-2 में विनिर्दिष्ट मूल्य वर्धन आवश्यकता को पूरा करें :

बीओएम में प्रमुख इनपुट/ कॉन्टेक्ट स्मार्ट कार्ड के विनिर्माण के लिए चरण	इनपुट को घरेलू बीओएम के तौर पर वर्गीकृत किए जाने के लिए आवश्यक मूल्य वर्धन
1	2
प्लास्टिक कार्ड बाँडी	आयातित/स्वदेशी स्तर पर विनिर्मित कच्चा माल, कलपुर्जों और संघटकों का प्रयोग कर शीट कटिंग और पंचिंग, प्रिंटिंग, लैमिनेशन और परीक्षण सहित घरेलू विनिर्माण
आईसी चिप मॉड्यूल	आयातित/स्वदेशी स्तर पर विनिर्मित कच्चे माल, कलपुर्जों और संघटकों* का प्रयोग करते हुए आईसी चिप मॉड्यूल की घरेलू स्तर पर असेंबली, पैकेजिंग और परीक्षण।
प्लास्टिक कार्ड पर आईसी चिप मॉड्यूल की माइलिंग और एम्बेडिंग	प्लास्टिक कार्ड पर आईसी चिप मॉड्यूल की माइलिंग और एम्बेडिंग घरेलू स्तर पर की जाती है।
(i) अंतिम असेंबली/परीक्षण और (ii) डिज़ाइन/विकास	(i) घरेलू स्तर पर असेंबल/परीक्षित और (ii) घरेलू स्तर पर विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम के फ़्यूजन सहित उपरोक्त आइटमों में से किसी आइटम के लिए बौद्धिक संपदा (आईपी) का अधिकार रखने वाला व्यक्ति भारत का निवासी हो। उपरोक्त आइटमों में से किसी आइटम के लिए भारत में आईपी निवासी के मूल्य को घरेलू बीओएम में उसके मूल्य से घटाया जाएगा।

\*जब भारत में सेमीकंडक्टर फैब प्रचालनरत है तब इसका भी पुनरावलोकन किया जाए।

**II(ख) कॉन्टेक्टलैस स्मार्ट कार्ड (ड्यूअल इंटरफ़ेस कार्डों सहित)**

खरीद का प्रतिशत जिसके लिए घरेलू स्तर पर विनिर्मित कॉन्टेक्टलैस स्मार्ट कार्ड को प्राथमिकता दी जानी है (मूल्य शर्तों में)	घरेलू स्तर पर विनिर्मित के रूप में अर्हता के लिए कॉन्टेक्टलैस स्मार्ट कार्ड के लिए आवश्यक बिल ऑफ मटीरियल (बीओएम) के संदर्भ में घरेलू मूल्यवर्धन का प्रतिशत
50%	70%

**II(ग) कॉन्टेक्टलैस स्मार्ट कार्ड के लिए घरेलू के तौर पर वर्गीकृत किए जाने के लिए बीओएम के मानदण्ड:**

कॉन्टेक्टलैस स्मार्ट कार्ड का घरेलू बीओएम, निम्नलिखित तालिका के स्तंभ-1 में यथा विनिर्दिष्ट मुख्य इनपुटों की लागत का जोड़ होगा बशर्ते कि इनपुट अलग-अलग स्तंभ-2 में विनिर्दिष्ट मूल्य वर्धन आवश्यकता को पूरा करें :

बीओएम में प्रमुख इनपुट/कॉन्टेक्टलैस स्मार्ट कार्ड के विनिर्माण के लिए चरण	इनपुट को घरेलू बीओएम के तौर पर वर्गीकृत किए जाने के लिए आवश्यक मूल्य वर्धन
1	2



बीओएम में प्रमुख इनपुट/कॉन्टेक्टलेस स्मार्ट कार्ड के विनिर्माण के लिए चरण	इनपुट को घरेलू बीओएम के तौर पर वर्गीकृत किए जाने के लिए आवश्यक मूल्य वर्धन
प्लास्टिक कार्ड बॉडी	आयातित/स्वदेशी स्तर पर विनिर्मित कच्चा माल, कलपुर्जों और संघटकों का प्रयोग कर शीट कटिंग और पंचिंग, प्रिंटिंग, लैमिनेशन और परीक्षण सहित घरेलू विनिर्माण
कार्ड इनले (एंटीना)	आयातित/स्वदेशी स्तर पर विनिर्मित कच्चे माल, कलपुर्जों और संघटकों से घरेलू स्तर पर असेम्बली और परीक्षण
आईसी चिप मॉड्यूल	आयातित/स्वदेशी स्तर पर विनिर्मित कच्चे माल, कलपुर्जों और संघटकों* का प्रयोग करते हुए आईसी चिप मॉड्यूल की घरेलू स्तर पर असेंबली, पैकेजिंग और परीक्षण।
प्लास्टिक कार्ड पर आईसी चिप मॉड्यूल की माइलिंग और एम्बेडिंग	प्लास्टिक कार्ड पर आईसी चिप मॉड्यूल की माइलिंग और एम्बेडिंग घरेलू स्तर पर की जाती है।
(i) अंतिम असेंबली/परीक्षण और (ii) डिज़ाइन/विकास	(i) घरेलू स्तर पर असेंबल/परीक्षित और (ii) घरेलू स्तर पर विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम के फ़्यूजन सहित उपरोक्त आइटमों में से किसी आइटम के लिए बौद्धिक संपदा (आईपी) का अधिकार रखने वाला व्यक्ति भारत का निवासी हो। उपरोक्त आइटमों में से किसी आइटम के लिए भारत में आईपी निवासी के मूल्य को घरेलू बीओएम में उसके मूल्य से घटाया जाएगा।

\*जब भारत में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्रचालनरत है तब इसका भी पुनरावलोकन किया जाए।

### 3.6 एलईडी उत्पाद

#### (क) परिभाषा :

इस अधिसूचना के उद्देश्य से, एलईडी उत्पाद वे उत्पाद हैं जिनका कार्य एलईडी द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का तथा : (i) प्रकाश, (ii) एलईडी टीवी समेत ऑप्टिकल डिस्प्ले, (iii) बैकलाइटिंग, (iv) सिग्नलिंग और इंडीकेशन तथा (v) परिवहन के क्षेत्रों में स्पार्निंग एप्लीकेशनों का प्रयोग करना है।

#### (ख)

खरीद का प्रतिशत जिसके लिए घरेलू स्तर पर विनिर्मित एलईडी उत्पादों को प्राथमिकता दी जानी है (मूल्य शर्तों में)	घरेलू स्तर पर विनिर्मित के रूप में अर्हता के लिए एलईडी उत्पादों के लिए आवश्यक बिल ऑफ मटीरियल (बीओएम) के संदर्भ में घरेलू मूल्यवर्धन का प्रतिशत
50%	65%

#### (ग) घरेलू के तौर पर वर्गीकृत किए जाने के लिए बीओएम के मानदण्ड:

एलईडी उत्पादों का घरेलू बीओएम, निम्नलिखित तालिका के स्तंभ-1 में यथा विनिर्दिष्ट मुख्य इनपुटों की लागत का जोड़ होगा बशर्ते कि इनपुट अलग-अलग स्तंभ-2 में विनिर्दिष्ट मूल्य वर्धन आवश्यकता को पूरा करें। तथापि (क) हीट सिंक या थर्मल मैनेजमेंट सोल्यूशन (ख) सेकेंडरी ऑप्टिक्स और (ग) सिस्टम फिक्सचर और फिटिंग की कुल लागत की भारिता एलईडी उत्पाद के घरेलू बीओएम के 20% से अधिक नहीं होगी:

(बीओएम) में प्रमुख इनपुट/ एलईडी उत्पादों के विनिर्माण के लिए चरण	इनपुट को घरेलू बीओएम के तौर पर वर्गीकृत किए जाने के लिए आवश्यक मूल्य वर्धन
1	2
एलईडी एमिटर	आयातित/घरेलू स्तर पर फ्रेब्रिकेट की गई बेयर एलईडी डार्ड से पैकेजिंग बशर्ते कि बेयर एलईडी डार्ड को आयातित/स्वदेशी स्तर पर विनिर्मित इनपुटों का प्रयोग कर घरेलू स्तर पर फ्रेब्रिकेट किया जाए।
ड्राइविंग इलेक्ट्रॉनिक्स	आयातित/स्वदेशी स्तर पर विनिर्मित कलपुर्जों और संघटकों से घरेलू असेंबली बशर्ते कि "ड्राइविंग इलेक्ट्रॉनिक्स" की असेंबली में प्रयुक्त कलपुर्जों और संघटकों (बेयर पीसीबी के मूल्य को छोड़कर) का मूल्य "ड्राइविंग इलेक्ट्रॉनिक्स" के विनिर्माण में प्रयुक्त कलपुर्जों और संघटकों के कुल मूल्य का न्यूनतम 30% होगा।
एमसीपीसीबी सहित बेयर पीसीबी	आयातित/स्वदेशी स्तर पर विनिर्मित इनपुटों से घरेलू स्तर पर विनिर्मित
हीटसिंक या थर्मल मैनेजमेंट	आयातित/स्वदेशी स्तर पर विनिर्मित इनपुटों से घरेलू स्तर पर विनिर्मित
सेकेन्ट्री ऑप्टिक्स	आयातित/स्वदेशी स्तर पर विनिर्मित इनपुटों से घरेलू स्तर पर विनिर्मित
सिस्टम फिक्सचर और फिटिंग	घरेलू स्तर पर विनिर्मित
(i) अंतिम असेंबली/परीक्षण और	समय-समय पर यथा अधिसूचित भारतीय मानक को पूरा करने वाले घरेलू रूप से असेम्बल / परीक्षित

### 3.7 बायोमीट्रिक अभिगम नियंत्रण/प्रमाणीकरण उपकरण

#### (क) परिभाषा :

इस अधिसूचना के उद्देश्य से, बायोमीट्रिक अभिगम नियंत्रण/प्रमाणीकरण उपकरण में अन्य बातों के साथ-साथ एक फिंगर प्रिंट सेंसर / आइरिस सेंसर, कंट्रोलर माड्यूल और बिजली आपूर्ति शामिल होंगे। इसमें डिस्प्ले युनिट हो भी सकती है और नहीं भी। बायोमीट्रिक अभिगम नियंत्रण/ प्रमाणीकरण उपकरण की कुछ एप्लीकेशन हैं -भौतिक अभिगम नियंत्रण, समय और उपस्थिति नियंत्रण इत्यादि।

#### (ख)

खरीद का प्रतिशत जिसके लिए घरेलू स्तर पर विनिर्मित बायोमीट्रिक अभिगम नियंत्रण/ प्रमाणीकरण उपकरणों को प्राथमिकता दी जानी है (मूल्य शर्तों में)	घरेलू स्तर पर विनिर्मित के रूप में अर्हता के लिए बायोमीट्रिक अभिगम नियंत्रण/ प्रमाणीकरण उपकरणों के लिए आवश्यक बिल ऑफ मटीरियल (बीओएम) के संदर्भ में घरेलू मूल्यवर्धन का प्रतिशत
50%	45%

**(ग) घरेलू के तौर पर वर्गीकृत किए जाने के लिए बीओएम के मानदण्ड:**

बायोमीट्रिक अभिगम नियंत्रण/ प्रमाणीकरण उपकरण का घरेलू बीओएम, निम्नलिखित तालिका के स्तंभ-1 में यथा विनिर्दिष्ट मुख्य इनपुटों की लागत का जोड़ होगा बशर्ते कि इनपुट अलग-अलग स्तंभ-2 में विनिर्दिष्ट मूल्य वर्धन आवश्यकता को पूरा करें:

बीओएम में प्रमुख इनपुट/बायोमीट्रिक अभिगम नियंत्रण/ प्रमाणीकरण उपकरण के विनिर्माण के लिए चरण	इनपुट को घरेलू बीओएम के तौर पर वर्गीकृत किए जाने के लिए आवश्यक मूल्य वर्धन
1	2
फिंगर प्रिंट सेंसर/आईरिस सेंटर	यथा अधिसूचित घरेलू स्तर पर विनिर्मित (पैरा सं. 3.8 और 3.9 का संदर्भ लें)
प्रमुख पीसीबी (नियंत्रक मॉड्यूल)	बेयर पीसीबी के मूल्य के अलावा आयातित/ देशी स्तर पर विनिर्मित कलपुर्जों संघटको से घरेलू असेंबली और परीक्षण
बेयर पीसीबी	आयातित/स्वदेशी स्तर पर विनिर्मित इनपुटों से घरेलू स्तर पर विनिर्मित
विजली आपूर्ति/बैटरी (यदि अलग है)	आयातित/ देशी स्तर पर विनिर्मित कलपुर्जों संघटको से घरेलू असेंबली और परीक्षण
डिस्प्ले यूनिट	आयातित/ देशी स्तर पर विनिर्मित कलपुर्जों और संघटको से घरेलू असेंबली और परीक्षण
कैमरा, की बोर्ड, आरएफआईडी, स्मार्ट कार्ड रीडर, जीपीआरएस मॉड्यूल, वाई-फाई, ब्लूटूथ इत्यादि	आयातित/ देशी स्तर पर विनिर्मित कलपुर्जों और संघटको से घरेलू असेंबली और परीक्षण
प्लास्टिक हाउसिंग	आयातित/स्वदेशी स्तर पर विनिर्मित इनपुटों से घरेलू स्तर पर विनिर्मित
यूएसबी केबल	आयातित/स्वदेशी स्तर पर विनिर्मित इनपुटों से घरेलू स्तर पर विनिर्मित
(i) अंतिम असेम्बली और परीक्षण (ii) डिज़ाइन/विकास	(i) घरेलू स्तर पर असेम्बल/परीक्षित और (ii) उपरोक्त आइटमों में से किसी आइटम के लिए बौद्धिक सम्पदा (आईपी) अधिकार रखने वाला व्यक्ति भारत का निवासी हो। उपरोक्त आइटमों में से किसी आइटम के लिए भारत में आईपी निवासी के मूल्य को उसके घरेलू बीओएम के मूल्य में से घटाया जायेगा।

**3.8 बायोमेट्रिक फिंगर प्रिंट सेंसर****(क) परिभाषा :**

इस अधिसूचना के उद्देश्य से, बायोमीट्रिक फिंगर प्रिंट सेंसर में एक कंट्रोलर मॉड्यूल, सीएमओएस सेंसर और ऑप्टिक्स शामिल होता है। निजी पहचान और सत्यापन इत्यादि बायोमीट्रिक फिंगर प्रिंट सेंसर की एप्लीकेशन हैं।

**(ख)**

खरीद का प्रतिशत जिसके लिए घरेलू स्तर पर विनिर्मित बायोमीट्रिक फिंगर प्रिंट सेंसर को प्राथमिकता दी जानी है (मूल्य शर्तों में)	घरेलू स्तर पर विनिर्मित के रूप में अर्हता के लिए बायोमीट्रिक फिंगर प्रिंट सेंसर के लिए आवश्यक बिल ऑफ मटीरियल (बीओएम) के संदर्भ में घरेलू मूल्यवर्धन का प्रतिशत
50%	45%

**(ग) घरेलू के तौर पर वर्गीकृत किए जाने के लिए बीओएम के मानदण्ड:**

बायोमीट्रिक फिंगर प्रिंट सेंसर का घरेलू बीओएम, निम्नलिखित तालिका के स्तंभ-1 में यथा विनिर्दिष्ट मुख्य इनपुटों की लागत का जोड़ होगा बशर्ते कि इनपुट अलग-अलग स्तंभ-2 में विनिर्दिष्ट मूल्य वर्धन आवश्यकता को पूरा करें :

बीओएम में प्रमुख इनपुट/बायोमीट्रिक फिंगर प्रिंट सेंसर के विनिर्माण के लिए चरण	इनपुट को घरेलू बीओएम के तौर पर वर्गीकृत किए जाने के लिए आवश्यक मूल्य वर्धन
1	2
प्रमुख पीसीबी (नियंत्रक मॉड्यूल)	बेयर पीसीबी के मूल्य के अलावा आयातित/स्वदेशी स्तर पर विनिर्मित कलपुर्जों और संघटकों से घरेलू असेंबली और परीक्षण
ऑप्टिक्स	आयातित/स्वदेशी स्तर पर विनिर्मित इनपुटों से घरेलू स्तर पर विनिर्मित
सीएमओएस सेंसर	आयातित/स्वदेशी रूप से विनिर्मित इनपुटों का प्रयोग कर सीएमओएस सेंसर की घरेलू असेंबली, पैकेजिंग और परीक्षण
बेयर पीसीबी	आयातित/स्वदेशी स्तर पर विनिर्मित इनपुटों से घरेलू स्तर पर विनिर्मित
प्लास्टिक हाउसिंग	आयातित/स्वदेशी स्तर पर विनिर्मित इनपुटों से घरेलू स्तर पर विनिर्मित
यूएसबी केबल	आयातित/स्वदेशी स्तर पर विनिर्मित इनपुटों से घरेलू स्तर पर विनिर्मित
(i) अंतिम असेंबली और परीक्षण (ii) डिज़ाइन/विकास	(i) घरेलू स्तर पर असेम्बल /परीक्षित और (ii) उपरोक्त आइटमों में से किसी आइटम के लिए बौद्धिक सम्पदा (आईपी) अधिकार रखने वाला व्यक्ति भारत का निवासी हो। उपरोक्त आइटमों में से किसी आइटम के लिए भारत में आईपी निवासी के मूल्य को घरेलू बीओएम में उसके मूल्य से घटाया जाएगा।

\*जब भारत में सेमीकंडक्टर फैब प्रचालनरत है तब इसका भी पुनरावलोकन किया जाए।

**3.9 बायोमीट्रिक आइरिस सेंसर****(क) परिभाषा :**

इस अधिसूचना के उद्देश्य से, बायोमीट्रिक आइरिस सेंसर में एक कंट्रोलर मॉड्यूल, सीएमओएस सेंसर और ऑप्टिक्स शामिल होता है। निजी पहचान और सत्यापन इत्यादि बायोमीट्रिक फिंगर प्रिंट सेंसर की एप्लीकेशन हैं।

**(ख)**

खरीद का प्रतिशत जिसके लिए घरेलू स्तर पर विनिर्मित बायोमीट्रिक आइरिस सेंसर को प्राथमिकता दी जानी है (मूल्य शर्तों में)	घरेलू स्तर पर विनिर्मित के रूप में अर्हता के लिए बायोमीट्रिक आइरिस सेंसर के लिए आवश्यक बिल ऑफ मटीरियल (बीओएम) के संदर्भ में घरेलू मूल्यवर्धन का प्रतिशत
50%	45%

## (ग) घरेलू के तौर पर वर्गीकृत किए जाने के लिए बीओएम के मानदण्ड:

बायोमीट्रिक फिंगर प्रिंट सेंसर का घरेलू बीओएम, निम्नलिखित तालिका के स्तंभ-1 में यथा विनिर्दिष्ट मुख्य इनपुटों की लागत का जोड़ होगा बशर्ते कि इनपुट अलग-अलग स्तंभ-2 में विनिर्दिष्ट मूल्य वर्धन आवश्यकता को पूरा करें :

बीओएम में प्रमुख इनपुट/बायोमीट्रिक आइरिस सेंसर के विनिर्माण के लिए चरण	इनपुट को घरेलू बीओएम के तौर पर वर्गीकृत किए जाने के लिए आवश्यक मूल्य वर्धन
1	2
प्रमुख पीसीबी (नियंत्रक माँड्यूल)	बेयर पीसीबी के मूल्य के अलावा आयातित/स्वदेशी स्तर पर विनिर्मित कलपुर्जों संघटको से घरेलू असेंबली और परीक्षण
ऑप्टिक्स	आयातित/स्वदेशी स्तर पर विनिर्मित इनपुटों से घरेलू स्तर पर विनिर्मित
सीएमओएस सेंसर	आयातित/ स्वदेशी रूप से विनिर्मित इनपुटों का प्रयोग कर सीएमओएस सेंसर की घरेलू असेंबली, पैकेजिंग और परीक्षण
बेयर पीसीबी	आयातित/स्वदेशी स्तर पर विनिर्मित इनपुटों से घरेलू स्तर पर विनिर्मित
प्लास्टिक हाउसिंग	आयातित/स्वदेशी स्तर पर विनिर्मित इनपुटों से घरेलू स्तर पर विनिर्मित
यूएसबी केबल	आयातित/स्वदेशी स्तर पर विनिर्मित इनपुटों से घरेलू स्तर पर विनिर्मित
(i) अंतिम असेम्बली और परीक्षण (ii) डिज़ाइन/विकास	(i) घरेलू स्तर पर असेम्बल /परीक्षित और (ii) उपरोक्त आइटमों में से किसी आइटम के लिए बौद्धिक सम्पदा (आईपी) अधिकार रखने वाला व्यक्ति भारत का निवासी हो। उपरोक्त आइटमों में से किसी आइटम के लिए भारत में आईपी निवासी के मूल्य को घरेलू बीओएम में उसके मूल्य से घटाया जाएगा।

\*जब भारत में सेमीकंडक्टर फैब प्रचालनरत है तब इसका भी पुनरावलोकन किया जाए।

## 3.10 सर्वर

## (क) परिभाषा:

इस अधिसूचना के उद्देश्य से, एक सर्वर में आवश्यक रूप से एक मदरबोर्ड, सीपीयू, मैमोरी (आरएएम), हार्ड डिस्क ड्राइव (एचडीडी) / सॉलिड स्टेट स्टोरेज ड्राइव (एसएसडी), पावर सप्लाय यूनिट (एमएमपीएस), चासिस, कनेक्टिंग केबल और फर्मवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम।

## (ख)

खरीद का प्रतिशत जिसके लिए घरेलू स्तर पर विनिर्मित सर्वरों को प्राथमिकता दी जानी है (मूल्य शर्तों में)	घरेलू स्तर पर विनिर्मित के रूप में अर्हता के लिए सर्वरों के लिए आवश्यक बिल ऑफ मटीरियल (बीओएम) के संदर्भ में घरेलू मूल्यवर्धन का प्रतिशत
50%	40%

**(ग) घरेलू के तौर पर वर्गीकृत किए जाने के लिए बीओएम के मानदण्ड:**

सर्वर का घरेलू बीओएम, निम्नलिखित तालिका के स्तंभ-1 में यथा विनिर्दिष्ट मुख्य इनपुटों की लागत का जोड़ होगा बशर्ते कि इनपुट अलग-अलग स्तंभ-2 में विनिर्दिष्ट मूल्य वर्धन आवश्यकता को पूरा करें :

बीओएम में प्रमुख इनपुट/सर्वर के विनिर्माण के लिए चरण	इनपुट को घरेलू बीओएम के तौर पर वर्गीकृत किए जाने के लिए आवश्यक मूल्य वर्धन
1	2
सर्वर बोर्ड/ मदरबोर्ड/ सीपीयू	बेयर पीसीबी को छोड़कर और प्रोसेसर/प्रोसेसरों* के मूल्य सहित आयातित/स्वदेशी स्तर पर विनिर्मित कलपुर्जों और संघटकों से घरेलू स्तर पर असेम्बली और परीक्षण
मेमोरी	आयातित/घरेलू स्तर पर विनिर्मित बेयर पीसीबी/घरेलू एटीएमपी/फेब्रीकेशन/या संयोजन पर आयातित मेमोरी चिप्स की घरेलू असेम्बली
हार्ड डिस्क ड्राइव/सोलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइज़	आयातित/स्वदेशी स्तर पर विनिर्मित कलपुर्जों संघटकों से घरेलू असेम्बली और परीक्षण
सेमीकंडक्टर (यानि सर्वर बोर्ड/मदरबोर्ड पर प्रोसेसर और मेमोरी सहित सेमीकंडक्टर चिप्स और माँड्यूल)	सर्वर बोर्ड/मदरबोर्ड के केवल उन सेमीकंडक्टर चिप्स और माँड्यूल (प्रोसेसर और मेमोरी सहित) के मूल्य में से घरेलू स्तर पर डिज़ाइन (जिसके लिए आईपी भारत में निवासी के पास है) के मूल्य को घटाया जाए जिस पर एटीएमपी संबंधी प्रचालन घरेलू स्तर पर किए जाते हैं, को घरेलू बीओएम* के तौर पर लिया जाएगा।
केबिनेट + एसएमपीएस	घरेलू स्तर पर विनिर्मित कैबिनेट और आयातित/ घरेलू स्तर पर विनिर्मित कलपुर्जों असेम्बली और परीक्षण इस शर्त के बशर्ते होंगे कि 'एसएमपीएस' की असेम्बली ने प्रयुक्त घरेलू स्तर पर विनिर्मित कलपुर्जों और संघटकों का मूल्य न्यूनतम 25% ("एसएमपीएस" के विनिर्माण में प्रयुक्त संघटक और कल पुर्जों के कुल मूल्य का) होगा।
बेयर पीसीबी	आयातित/ स्वदेशी स्तर पर विनिर्मित कलपुर्जों संघटकों से घरेलू असेम्बली और परीक्षण
एसेसिरिज़ (पावर केबल कनेक्टर इत्यादि)	आयातित/ स्वदेशी स्तर पर विनिर्मित कलपुर्जों संघटकों से घरेलू असेम्बली और परीक्षण
(i) अंतिम असेम्बली और परीक्षण (ii) डिज़ाइन/विकास	(i) घरेलू स्तर पर असेम्बली/परीक्षित और (ii) उपरोक्त आइटमों में से किसी आइटम के लिए बौद्धिक सम्पदा (आईपी) अधिकार रखने वाला व्यक्ति भारत का निवासी हो। उपरोक्त आइटमों में से किसी आइटम के लिए भारत में आईपी निवासी के मूल्य को घरेलू बीओएम में उसके मूल्य से घटाया जाएगा।

\* यह आवश्यक है कि एसएमटी प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए बेयर पीसीबी पर प्रोसेसर (एस)/संघटकों की प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेम्बली अनिवार्य रूप से भारत में की जानी चाहिए।

\*\* इसकी समीक्षा तब की जाएगी जब भारत में सेमीकंडक्टर फैब्रि प्रचालित हो जाता है।

4. अधिसूचना तत्काल प्रभावी होगी और दिनांक 31.03.2019 के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी।

5. संशोधित अधिसूचना जारी होने तक यह अधिसूचना वैध रहेगी।

6. इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद अधिसूचना टर्नकी/प्रणाली एक्कीकरण परियोजना में शामिल होने वाले घरेलू विनिर्मित इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद (डीएमईपी) के लिए भी लागू होगी। ऐसे मामले में डीएमईपी को वारीयता सिर्फ टर्नकी/प्रणाली-एक्कीकरण परियोजनाओं के भाग के रूप में शामिल अधिसूचित डीएमईपी के मुख्य के लिए लागू होगी और ना की पूरी परियोजना के मूल्य पर।

7. सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया के वरीयता में) आदेश 2017 के अंतर्गत और भी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद अधिसूचना भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होगी।

## 8. स्थानीय सामग्री / घरेलू मूल्य वृद्धि की गणना के लिए प्रक्रिया

8.1 घरेली विनिर्माताओं से प्राप्त सामग्री के बिल (डीओएम-बीओएम) की गणना उपलब्ध डाटा के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक पद्धति के अनुसार की जाए। इन गणनाओं में से प्रत्येक को परिणाम समान रूप से प्राप्त होना चाहिए।

क. ऐसी सभी आवश्यकताओं ( इनपुट ) की लागतों का योग जो उत्पाद को तैयार करने में इस्तेमाल की जाती है (जिसमें ऐसी इनपुट सामग्री, जिसके लिए क्रेडिट / सेट-ऑफ का लाभ लिया जा सकता है, को छोड़कर इनपुट सामग्री के क्रय पर वसूल किए जाने वाली शुल्क और कर शामिल है) तथा जिनका आयात प्रत्यक्ष रूप से अथवा किसी घरेलू, ट्रेडर या किसी माध्यस्थ द्वारा नहीं किया गया।

ख. उत्पाद के उत्पादन में इनपुट सामग्री के रूप प्रयुक्त ( प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ) सामग्री के आयात के बिल के योग को घटाकर कर पश्चात लाभ घटाते हुए उत्पाद का एक्स फैक्ट्री मूल्य (जिसमें ऐसी इनपुट सामग्री, जिसके लिए क्रेडिट / सेट-ऑफ का लाभ लिया जा सकता है, को छोड़कर इनपुट सामग्री के क्रय पर वसूल किए जाने वाली शुल्क और कर शामिल है) से (वारंटी की लागतों को घटाकर मूल्य)।

ग. उत्पाद के उत्पादन में इनपुट सामग्री के रूप में प्रयुक्त सामग्री के आयात के बिल के योग को घटाकर वारंटी की लागतों को घटाकर पश्चात लाभ को घटाकर उत्पादन के पश्चात माल भाड़े, बीमा और अन्य हथालन लागतों को घटाने के बाद बाजार मूल्य (जिसमें ऐसी इनपुट सामग्री, जिसके लिए क्रेडिट/सेट-ऑफ का लाभ लिया जा सकता है, को छोड़कर इनपुट सामग्री के क्रय पर वसूल किए जाने वाली शुल्क और कर शामिल है) से विक्री और विपणन संबंधी व्यय घटाया जाएगा।

8.2 उपलब्ध डाटा पर आधारित निम्नलिखित में से एक पर आधारित टोटल बिल ऑफ मेटेरियल (कुल-बीओएम) की गणना की जा सकती है। इनमें से प्रत्येक गणना का अविरोध परिणाम होना चाहिए।

क. उत्पाद के लिए आवश्यक सभी सामग्री की लागतों का योग (आवश्यक सामग्री की खरीद पर वसूल किए जाने वाले कर और शुल्क सहित और उन आवश्यक सामग्री को छोड़कर जिनके लिए क्रेडिट सेट/ऑफ का लाभ उठाया जा सकता है)।

ख. वारंटी लागत घटाते हुए कर पश्चात लाभ घटाते हुए उत्पाद को एक्स फैक्ट्री मूल्य से घटाया वारंटी लागतों को मूल्य को घटाया जाएगा।

ग. विक्री और विपणन संबंधी व्यय को घटाकर वारंटी की लागतों को घटाने के पश्चात लाभ को घटाकर उत्पादन के पश्चात माल भाड़े, बीमा और अन्य हथालन लागतों को घटाने के बाद बाजार मूल्य से घटाया जाएगा।

8.3 निम्नलिखित सूत्र के अनुसार दी गई सूचना के आधार पर घरेलू मूल्य-संवर्धन के प्रतिशत गणना की जा सकती है:

घरेलू मूल्य संवर्धन का प्रतिशत =  $\frac{\text{डीओएम- बीओएम}}{\text{कुल - बीओएम}} \times 100$

कुल - बीओएम

यह सिफारिश की जाती है कि मूल्यांकन करने वाली प्रत्येक एजेन्सी को उपर्युक्त सूत्रों में से कम से कम दो का प्रयोग करते हुए घरेलू स्थानीय सामग्री / मूल्य - संवर्धन की गणना करे ताकि इस संदर्भ में मूल्यांकनों की अभिपुष्टि की जा सके और यह सुनिश्चित किया जाए कि घरेलू मूल्य संवर्धन के अनुकूल हो।

### 9. स्थानीय सामग्री/घरेलू मूल्य संवर्धन का सत्यापन

क. निविदा, बोली या सिफारिश के समय स्थानीय आपूर्तिकर्ता यह प्रमाणन प्रदान करेगा कि दी गई सामग्री में न्यूनतम स्थानीय सामग्री निहित है और उन स्थानों का विस्तृत विवरण देगा जहां पर स्थानीय मूल्य संवर्धन किया गया है।

ख. 10 करोड़ रुपये से अधिक के मूल्य की खरीद के मामले में, स्थानीय आपूर्तिकर्ता कम्पनी के वैधानिक लेखा परीक्षक या लागत लेखा परीक्षकों (कम्पनियों के मामले में) द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्रदान करेगा या कार्यरत लागत लेखाकार या कार्यरत सनदी लेखाकार (कम्पनियों से इतर आपूर्तिकर्ता के संदर्भ में) से स्थानीय सामग्री के प्रतिशत उपलब्ध के साथ एक प्रमाणपत्र उपलब्ध कराएगा।

ग. इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद में स्थानीय सामग्री/घरेलू मूल्य संवर्धन के संबंध में बोली के दावा की तुलना में संबंधित मंत्रालय/विभाग या खरीद एजेंसी के द्वारा प्राप्त शिकायत के मामलों को एसटीक्यूसी में भेजा जाएगा।

घ. एसटीक्यूसी को भेजी गई कोई भी शिकायत चार सप्ताह के भीतर निपटायी जाएगी। बोलीकर्ता से यह अपेक्षित होगा कि घरेलू मूल्य वर्धन जिसका दावा इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद में किया गया है के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज़ एसटीक्यूसी को उपलब्ध कराए। यदि बोली लगानेवाले के द्वारा कोई सूचना नहीं दी जाती है तो दावे के मूल तथ्यों को सिद्ध करने के लिए ऐसी प्रयोगशालाएं आगे की कार्रवाई कर सकती हैं।

ड. 2 लाख रुपए या खरीदे जा रहे घरेलू रूप से विनिर्मित इलेक्ट्रॉनिकी उत्पादों के मूल्य के 1% (5 लाख के अधिकतम सीमा तक), का शिकायत शुल्क जो की अधिक था, उसे डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा एसटीक्यूसी में जमा कराया जना था। यदि शिकायत गलत पायी जाएगी तो शिकायत शुल्क जब्त कर लिया जाएगा। यदि, शिकायत पर कार्यवाई नहीं की जाती है और उसे पर्याप्त रूप से सही पाया जाता है तो शिकायतकर्ता की जमा राशि को बिना किसी ब्याज के वापस कर दिया जाएगा।

च. गलत घोषणा सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 175(1) (आई) (एच) के अंतर्गत सत्यनिष्ठता संहिता का उल्लंघन होगा जिसके लिए बोलीदाता या उसके उतराधिकारियों को सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 151 (iii) के अनुसार दो वर्षों तक वंचित किया जा सकता है साथ-साथ उन पर कानून के अंतर्गत अनुज्ञेय अन्य कार्यवाइयां भी की जा सकती हैं।

10. एमईआईटीवाई इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद अधिसूचना के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए नोडल मंत्रालय होगा।

11. इस सवाल के मामले में क्या खरीदी जाने वाली वस्तु सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया की वरीयता में) आदेश 2017 के अंतर्गत आनेवाला इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद है, यह मामला स्पष्टीकरण के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को भेजा जाएगा।

[फा. सं. 33(1)/2017-आई पी एच डब्ल्यू]

संजय कुमार राकेश, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

### NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 2017

**Subject :** Public Procurement (Preference to Make in India) Order 2017- Notifying Electronic Products in furtherance of the Order

**Reference :** Department of Industrial Policy & Promotion (DIPP) Notification No. P-45021/2/2017-B.E.-II dated 15.06.2017

**S.O. 3586(E).**—The Government has issued Public Procurement (Preference to Make in India) Order 2017 vide the Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP) Notification No. P-45021/2/2017-B.E.-II dated 15.06.2017 to encourage 'Make in India' and to promote manufacturing and production of goods and services in India with a view to enhancing income and employment.

2. In furtherance of the Public Procurement (Preference to Make in India) Order 2017 notified vide reference cited above, and in supersession of the policy for providing preference to domestically manufactured electronic products in Government procurement notified vide Notification No. 33(3)/2013-IPHW, dated 23.12.2013 and the Electronic Product Notifications issued thereunder, the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) hereby notifies that preference shall be provided by all procuring entities to domestically manufactured Electronic Products as per the aforesaid Order.



3. Following Electronic Products are notified under the Public Procurement (Preference to Make in India) Order 2017:

### 3.1 Desktop Personal Computers (PCs)

#### (A) Definition:

For the purpose of this Notification, a Desktop PC shall necessarily consist of a CPU, Memory, Hard disk drive, Keyboard, Mouse and a separate or integrated display unit and should be able to operate independently.

#### (B)

Percentage of procurement for which preference to domestically manufactured Desktop PCs is to be provided (in value terms)	Percentage local content or domestic value addition in terms of Bill of Material (BOM) required for the Desktop PCs to qualify as domestically manufactured
50%	45%

#### (C) Criteria for BOM to be classified as domestic:

The domestic BOM of Desktop PC would be the sum of the cost of main inputs as specified in Column 1 of the following table, provided the inputs individually satisfy the value addition requirement specified in Column 2 of the table:

Main inputs in BOM/stages for manufacture of Desktop PC	Value addition required for the input to be classified as domestic BOM
1	2
Processor	Domestic ATMP /fabrication or both
Memory	Domestic assembly of imported memory chips on imported / indigenously manufactured bare PCB/ Domestic ATMP/ fabrication/ or combination
Hard Disk Drive	Domestic assembly and testing from imported / indigenously manufactured parts and components
LCD Monitor	Domestic assembly from imported LCD Panel wherein plastic moulding and stamping of metal parts is done domestically and testing / domestic fabrication of LCD Panel or both
DVD Drive	Domestic assembly and testing from imported / indigenously manufactured parts and components
Cabinet + SMPS	Domestically manufactured Cabinet and domestic assembly and testing of SMPS from imported / indigenously manufactured parts and components subject to the condition that value of domestically manufactured parts and components used in the assembly of "SMPS" will be minimum 20% (of the total value of parts and components used in the manufacture of "SMPS")
Keyboard/Mouse	Domestic assembly and testing from imported / indigenously manufactured parts and components

<b>Main inputs in BOM/stages for manufacture of Desktop PC</b>	<b>Value addition required for the input to be classified as domestic BOM</b>
Motherboard	Domestic assembly and testing from imported / indigenously manufactured parts and components except value of bare PCB
Bare PCB	Domestically manufactured from imported/ indigenously manufactured inputs
(i) Final Assembly/Testing and (ii) Design/ Development	(i) Domestically assembled/tested and (ii) Intellectual Property (IP) resident in India for any of the above items. The value of IP resident in India for any of the above items shall be reduced from its value in domestic BOM

### 3.2 Laptop Personal Computers (PCs)

#### (A) Definition:

For the purpose of this Notification, a Laptop PC (commonly known in the market as Laptop/ Notebook/ Netbook/ Ultrabook, etc.) shall necessarily consist of a CPU, Memory, Hard disk drive, Keyboard, Touchpad and / or Trackpoint, an integrated display unit, integrated battery and should be able to operate independently.

#### (B)

<b>Percentage of procurement for which preference to domestically manufactured Laptop PCs is to be provided (in value terms)</b>	<b>Percentage domestic value addition in terms of Bill of Material (BOM) required for the Laptop PCs to qualify as domestically manufactured</b>
<b>50%</b>	<b>40%</b>

#### (C) Criteria for BOM to be classified as domestic:

The domestic BOM of Laptop PC would be the sum of the cost of main inputs as specified in Column 1 of the following table, provided the inputs individually satisfy the value addition requirement specified in Column 2 of the table:

<b>Main inputs in BOM/stages for manufacture of Laptop PC</b>	<b>Value addition required for the input to be classified as domestic BOM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
Hard Disk Drive	Domestic assembly and testing from imported / indigenously manufactured parts and components
Display Panel (LCD, LED, etc.) + Back cover + Bezel	Domestic assembly and testing from imported/ indigenously manufactured Display Panel, Back cover and Bezel or combination subject to the condition that  (i) back cover shall be domestically manufactured and

Main inputs in BOM/stages for manufacture of Laptop PC	Value addition required for the input to be classified as domestic BOM
	(ii) backlight assembly and testing of Display Panel shall be done domestically.
DVD Drive	Domestic assembly and testing from imported / indigenously manufactured parts and components
Cabinet + Motherboard + Power Module	<p>Domestic assembly and testing from imported / indigenously manufactured Cabinet, Motherboard, Power Module or combination except value of bare PCB and Semiconductor BOM (i.e. the Semiconductor Chips and Modules on Motherboard) subject to the conditions that:</p> <p>(i) value of domestically manufactured parts and components used in the assembly of "Motherboard + Power Module" will be minimum 20% (of the total value of parts and components used in the manufacture of "Motherboard + Power Module") and</p> <p>(ii) Cabinet shall be domestically manufactured</p>
Semiconductors (i.e. the Semiconductor Chips and Modules on Motherboard)	The value of only those Semiconductor Chips and Modules (including Processor and Memory) of the Motherboard less the value of their indigenous design (for which IP is resident in India), on which ATMP operations are carried out domestically, will be taken as domestic BOM*
Bare PCB	Domestically manufactured from imported/ indigenously manufactured inputs
Power Adapter	Domestic assembly and testing from imported / indigenously manufactured parts and components subject to the condition that the value of domestically manufactured parts and components used in the assembly of "Power Adapter" will be minimum 40% (of the total value of parts and components used in the manufacture of "Power Adapter")
Keyboard/Touchpad and/or Trackpoint	Domestic assembly and testing from imported/ indigenously manufactured parts and components
Battery	Domestic assembly and testing from imported/ indigenously manufactured parts and components
(i) Final Assembly/Testing and (ii) Design/ Development	(i) Domestically assembled/ tested and (ii) Intellectual Property (IP) resident in India for any of the above items. The value of IP resident in India for any of the above items shall be reduced from its value in domestic BOM

\* This shall be reviewed when the Semiconductor FAB in India is operational

**3.3 Tablet Personal Computers (PCs)****(A) Definition:**

For the purpose of this Notification, a Tablet PC shall necessarily consist of an Integrated Motherboard with on board CPU/Processor, Memory and Power Module; Display Panel (Touch Panel + LCD/LED Module) and integrated battery and should be able to operate independently.

**(B)**

Percentage of procurement for which preference to domestically manufactured Tablet PCs is to be provided (in value terms)	Percentage domestic value addition in terms of Bill of Material (BOM) required for the Tablet PCs to qualify as domestically manufactured
<b>50%</b>	<b>45%</b>

**(C) Criteria for BOM to be classified as domestic:**

The domestic BOM of Tablet PC would be the sum of the cost of main inputs as specified in Column 1 of the following table, provided the inputs individually satisfy the value addition requirement specified in Column 2 of the table:

Main inputs in BOM/stages for manufacture of Tablet PC	Value addition required for the input to be classified as domestic BOM
<b>1</b>	<b>2</b>
Display Panel (Touch Panel + LCD/LED Module)	Domestic assembly and testing from imported / indigenously manufactured Touch Panel, LCD/LED Module or combination subject to the condition that backlight assembly and testing of Display Panel shall be done domestically
Integrated Motherboard with on board CPU/Processor, Memory and Power Module	Domestic assembly and testing from imported / indigenously manufactured parts and components except value of bare PCB and Semiconductor BOM (i.e. the Semiconductor Chips and Modules on Integrated Motherboard) subject to the condition that the value of domestically manufactured parts and components used in the assembly of “Integrated Motherboard” will be minimum 20% (of the total value of parts and components used in the manufacture of “Integrated Motherboard”)
Semiconductors (i.e. the Semiconductor Chips and Modules on Integrated Motherboard)	The value of only those Semiconductor Chips and Modules (including Processor and Memory) of the Integrated Motherboard less the value of their indigenous design (for which IP is resident in India), on which ATMP operations are carried out domestically, will be taken as domestic BOM*

Bare PCB	Domestically manufactured from imported/indigenously manufactured inputs
Power Adapter	Domestic assembly and testing from imported/indigenously manufactured parts and components subject to the condition that the value of domestically manufactured parts and components used in the assembly of "Power Adapter" will be minimum 40% (of the total value of parts and components used in the manufacture of "Power Adapter")
Casing	Domestically manufactured Casing
Battery	Domestic assembly and testing from imported/indigenously manufactured parts and components
Accessories (Camera, Speaker, WiFi Antenna, etc.)	Domestic assembly and testing from imported/indigenously manufactured parts and components
(i) Final Assembly/Testing and (ii) Design/ Development	(i) Domestically assembled/tested and (ii) Intellectual Property (IP) resident in India for any of the above items. The value of IP resident in India for any of the above items shall be reduced from its value in domestic BOM

*\* This shall be reviewed when the Semiconductor FAB in India is operational*

### 3.4 Dot Matrix Printers

#### (A) Definition:

A Dot Matrix Printer is a type of impact printer that forms dot on paper by a metal pin of diameter 0.2 mm to 0.3 mm which is driven by electromagnet based on solenoid principle and required character matrix is produced by horizontal and vertical resolution of dot matrix printhead. Dot matrix Printer can create carbon copies and carbonless copies based on mechanical pressure of pin.

#### (B)

Percentage of procurement for which preference to domestically manufactured Dot Matrix Printers is to be provided (in value terms)	Percentage domestic value addition in terms of Bill of Material (BOM) required for the Dot Matrix Printers to qualify as domestically manufactured
<b>50%</b>	<b>55%</b>

**II(C) Criteria for BOM to be classified as domestic:**

The domestic BOM of Dot Matrix Printer would be the sum of the cost of main inputs specified in Column 1 of the following table, provided the inputs individually satisfy the value addition requirement specified in Column 2 of the table:

Main inputs in BOM/ stages for manufacture of Dot Matrix Printer	Value addition required for the input to be classified as domestic BOM
1	2
Main PCB	Domestic assembly and testing from imported / indigenously manufactured parts and components subject to the condition that value of domestically manufactured parts and components used in the assembly of “Main PCB” will be minimum 15% (of the total value of parts and components used in the manufacture of “Main PCB”) except value of bare PCB
Bare PCB	Domestically manufactured from imported/ indigenously manufactured inputs
SMPS	Domestic assembly and testing from imported / indigenously manufactured parts and components subject to the condition that value of domestically manufactured parts and components used in the assembly of “SMPS” will be minimum 20% (of the total value of parts and components used in the manufacture of “SMPS”)
Carriage Motors & Paper Feed Motors	Imported as sub assembly and tested domestically alongwith main Printer Mechanism
Front Control Panel	Domestic assembly and testing from imported / indigenously manufactured parts and components
Home Position/Paper End Sensors	Domestic assembly and testing from imported / indigenously manufactured parts and components
Main Printer Cabinet and other small plastic components	Domestic moulding of Printer Cabinet and other parts
Printer Mechanism Assembly	Domestic assembly using indigenously manufactured Rubber Platens, small rubber parts, sheet metal components, plastic gears and other plastic parts with turned steel shafts and above mentioned sensors and

Main inputs in BOM/ stages for manufacture of Dot Matrix Printer	Value addition required for the input to be classified as domestic BOM
	Motors
Print Heads and Interconnecting Cables	Domestic assembly and testing from imported / indigenously manufactured parts and components
(i) Final Assembly/Testing and (ii) Design/ Development	(i) Domestically assembled/tested and (ii) Intellectual Property (IP) resident in India for any of the above items. The value of IP resident in India for any of the above items shall be reduced from its value in domestic BOM

### 3.5 Smart Cards

#### (A) Definition:

For the purpose of this Notification, Smart Card is usually a Credit Card sized plastic Card with an Integrated Circuit (IC) contained inside. The IC contains a microprocessor and memory. Smart Cards can be contact, contactless or dual interface (both contact and contactless). Some of the applications of Smart Card are Identity Card, Banking Card, Health Card, Vehicle Registration Card etc.

#### (B) Contact Smart Cards

Percentage of procurement for which preference to domestically manufactured Contact Smart Cards is to be provided (in value terms)	Percentage domestic value addition in terms of Bill of Material (BOM) required for Contact Smart Cards to qualify as domestically manufactured
50%	65%

#### (C) Criteria for BOM to be classified as domestic for Contact Smart Cards

The domestic BOM of Contact Smart Card would be the sum of the cost of main inputs as specified in Column 1 of the following table, provided the inputs individually satisfy the value addition requirement specified in Column 2 of the table:

Main inputs in BOM/stages for manufacture of Contact Smart Card	Value addition required for the input to be classified as domestic BOM
1	2
Plastic Card Body	Domestic manufacturing including sheet cutting & punching, printing, lamination and testing using imported/ indigenously manufactured raw material, parts and components
IC Chip Module	Domestic assembly, packaging and testing of IC Chip Module using imported / indigenously manufactured raw material, parts and components *

<b>Main inputs in BOM/stages for manufacture of Contact Smart Card</b>	<b>Value addition required for the input to be classified as domestic BOM</b>
Milling and Embedding of IC Chip Module on Plastic Card	Milling and Embedding of IC Chip Module on Plastic Card done domestically
(i) Final Assembly and Testing (ii) Design/ Development	(i) Domestically assembled/tested and (ii) Intellectual Property (IP) resident in India for any of the above items, including fusion of domestically developed Operating System. The value of IP resident in India for any of the above items shall be reduced from its value in domestic BOM

*\* This shall be reviewed when the Semiconductor FAB in India is operational*

#### **II(B) Contactless Smart Cards (includes dual interface cards)**

<b>Percentage of procurement for which preference to domestically manufactured Contactless Smart Cards is to be provided (in value terms)</b>	<b>Percentage domestic value addition in terms of Bill of Material (BOM) required for Contactless Smart Cards to qualify as domestically manufactured</b>
<b>50%</b>	<b>70%</b>

#### **II(C) Criteria for BOM to be classified as domestic for Contactless Smart Cards**

The domestic BOM of Contactless Smart Card would be the sum of the cost of main inputs as specified in Column 1 of the following table, provided the inputs individually satisfy the value addition requirement specified in Column 2 of the table:

<b>Main inputs in BOM/stages for manufacture of Contactless Smart Card</b>	<b>Value addition required for the input to be classified as domestic BOM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
Plastic Card Body	Domestic manufacturing including sheet cutting & punching, printing, lamination and testing using imported/ indigenously manufactured raw material, parts and components
Card inlay (Antenna)	Domestic assembly and testing from imported/ indigenously manufactured raw material, parts and components
IC Chip Module	Domestic assembly, packaging and testing of IC Chip Module using imported/indigenously manufactured raw material, parts and components *
Milling and Embedding of IC Chip Module on Plastic Card	Milling and Embedding of IC Chip Module on Plastic Card done domestically



Main inputs in BOM/stages for manufacture of Contactless Smart Card	Value addition required for the input to be classified as domestic BOM
(i) Final Assembly and Testing (ii) Design/ Development	(i) Domestically assembled/tested and (ii) Intellectual Property (IP) resident in India for any of the above items, including fusion of domestically developed Operating System. The value of IP resident in India for any of the above items shall be reduced from its value in domestic BOM

*\* This shall be reviewed when the Semiconductor FAB in India is operational*

### 3.6 LED Products

#### (A) Definition:

For the purpose of this Notification, LED products are those whose function is to utilize light produced by LEDs and spanning applications in the areas of: (i) Illumination, (ii) Optical Displays including True LED TVs, (iii) Backlighting, (iv) Signalling & Indication and (v) Transportation.

#### (B)

Percentage of procurement for which preference to domestically manufactured LED Products is to be provided (in value terms)	Percentage domestic value addition in terms of Bill of Material (BOM) required for the LED Products to qualify as domestically manufactured
50%	65%

#### (C) Criteria for BOM to be classified as domestic:

The domestic BOM of LED Products would be the sum of the cost of main inputs as specified in Column 1 of the following table, provided the inputs individually satisfy the value addition requirement specified in Column 2 of the table. However, the weightage of total cost of (d) Heat Sink or Thermal Management Solutions, (e) Secondary Optics and (f) System Fixture and Fitting shall not exceed 20% of the domestic BOM of the LED Product:

Main inputs in BOM/stages for manufacture of LED Products	Value addition required for the input to be classified as domestic BOM
1	2
LED Emitter	Packaging from imported/domestically fabricated Bare LED Die subject to the condition that the Bare LED Die shall be domestically fabricated using imported/indigenously manufactured inputs

Driving Electronics	Domestic assembly from imported/ indigenously manufactured parts and components subject to the condition that the value of domestically manufactured parts and components (excluding the value of bare PCB) used in the assembly of “Driving Electronics” will be minimum 30% of the total value of parts and components used in the manufacture of “Driving Electronics”
Bare PCB including MCPCB	Domestically manufactured using imported/ indigenously manufactured inputs
Heat Sink or Thermal Management Solutions	Domestically manufactured using imported/ indigenously manufactured inputs
Secondary Optics	Domestically manufactured using imported/ indigenously manufactured inputs
System Fixture and Fitting	Domestically manufactured
Final Assembly / Testing	Domestically assembled / tested meeting Indian Standards as notified from time to time.

### 3.7 Biometric Access Control/Authentication Devices

#### (A) Definition:

For the purpose of this Notification, Biometric Access Control/ Authentication Device shall include *inter-alia* a Finger Print Sensor/Iris Sensor, Controller Module and Power supply. It may or may not contain a display unit. Some of the applications of Biometric Access Control/Authentication Device are Physical access control, Time and Attendance control etc.

#### (B)

Percentage of procurement for which preference to domestically manufactured Biometric Access Control/Authentication Devices is to be provided (in value terms)	Percentage domestic value addition in terms of Bill of Material (BOM) required for Biometric Access Control/Authentication Devices to qualify as domestically manufactured
50%	45%

#### (C) Criteria for BOM to be classified as domestic:

The domestic BOM of Biometric Access Control/Authentication Device would be the sum of the cost of main inputs as specified in Column 1 of the following table, provided the inputs individually satisfy the value addition requirement specified in Column 2 of the table:

<b>Main inputs in BOM/stages for manufacture of Biometric Access Control/Authentication Device</b>	<b>Value addition required for the input to be classified as domestic BOM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
Finger Print Sensor/Iris Sensor	Domestically manufactured as notified (refer Paras 3.8 and 3.9)
Main PCB (Controller Module)	Domestic assembly and testing from imported/indigenously manufactured parts and components except value of bare PCB
Bare PCB	Domestically manufactured from imported/indigenously manufactured inputs
Power Supply/Battery(if separate)	Domestic assembly and testing from imported/indigenously manufactured parts and components
Display Unit	Domestic assembly and testing from imported/indigenously manufactured parts and components
Optional features such as Camera, Keyboard, RFID, Smart Card Reader, GPRS Module, Wi-Fi, Blue Tooth etc.	Domestic assembly and testing from imported/indigenously manufactured parts and components
Plastic Housing	Domestically manufactured from imported/indigenously manufactured inputs
USB Cables	Domestically manufactured from imported/indigenously manufactured inputs
(ii) Final Assembly and Testing (ii) Design/ Development	(ii) Domestically assembled / tested and (ii) Intellectual Property (IP) resident in India for any of the above items. The value of IP resident in India for any of the above items shall be reduced from its value in domestic BOM

### 3.8 Biometric Finger Print Sensors

#### (A) Definition:

For the purpose of this Notification, Biometric Finger Print Sensor consists of a Controller Module, CMOS Sensor and Optics. The applications of the Biometric Finger Print Sensor are personal identification and verification etc.

#### (B)

<b>Percentage of procurement for which preference to domestically manufactured Biometric Finger Print Sensors is to be provided (in value terms)</b>	<b>Percentage domestic value addition in terms of Bill of Material (BOM) required for Biometric Finger Print Sensors to qualify as domestically manufactured</b>
<b>50%</b>	<b>45%</b>

**(C) Criteria for BOM to be classified as domestic:**

The domestic BOM of Biometric Finger Print Sensor would be the sum of the cost of main inputs as specified in Column 1 of the following table, provided the inputs individually satisfy the value addition requirement specified in Column 2 of the table:

<b>Main inputs in BOM/stages for manufacture of Biometric Finger Print Sensor</b>	<b>Value addition required for the input to be classified as domestic BOM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
Main PCB (Controller Module)	Domestic assembly and testing using imported/indigenously manufactured parts and components except value of bare PCB
Optics	Domestically manufactured from imported/indigenously manufactured inputs
CMOS Sensor	Domestic assembly, packaging and testing of CMOS Sensor using imported/indigenously manufactured inputs*
Bare PCB	Domestically manufactured from imported/indigenously manufactured inputs
Plastic Housing	Domestically manufactured from imported/indigenously manufactured inputs
USB Cables	Domestically manufactured from imported/indigenously manufactured inputs
(i) Final Assembly and Testing (ii) Design /Development	(i) Domestically assembled /tested and (ii) Intellectual Property (IP) resident in India for any of the above items. The value of IP resident in India for any of the above items shall be reduced from its value in domestic BOM

\* This shall be reviewed when the Semiconductor FAB in India is operational

**3.9 Biometric Iris Sensors****(A) Definition:**

For the purpose of this Notification, Biometric Iris Sensor consists of a Controller Module, CMOS Sensor and Optics. The applications of the Biometric Iris Sensor are personal identification and verification etc.

**(B)**

<b>Percentage of procurement for which preference to domestically manufactured Biometric Iris Sensors is to be provided (in value terms)</b>	<b>Percentage domestic value addition in terms of Bill of Material (BOM) required for Biometric Iris Sensors to qualify as domestically manufactured</b>
<b>50%</b>	<b>45%</b>

**(C) Criteria for BOM to be classified as domestic:**

The domestic BOM of Biometric Iris Sensor would be the sum of the cost of main inputs as specified in Column 1 of the following table, provided the inputs individually satisfy the value addition requirement specified in Column 2 of the table:

<b>Main inputs in BOM/stages for manufacture of Biometric Iris Sensor</b>	<b>Value addition required for the input to be classified as domestic BOM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
Main PCB (Controller Module)	Domestic assembly and testing using imported /indigenously manufactured parts and components except value of bare PCB
Optics	Domestically manufactured from imported/indigenously manufactured inputs
CMOS Sensor	Domestic assembly, packaging and testing of CMOS Sensor using imported/indigenously manufactured inputs*
Bare PCB	Domestically manufactured from imported/indigenously manufactured inputs
Plastic Housing	Domestically manufactured from imported/indigenously manufactured inputs
USB Cables	Domestically manufactured from imported/indigenously manufactured inputs
(i) Final Assembly and Testing (ii) Design/Development	(i) Domestically assembled/tested and (ii) Intellectual Property (IP) resident in India for any of the above items. The value of IP resident in India for any of the above items shall be reduced from its value in domestic BOM

*\*This shall be reviewed when the Semiconductor Fab in India is operational*

**3.10 Servers****(A) Definition:**

For the purpose of this Notification, a Server shall necessarily consist of a Mother Board, CPU, Memory (RAM), Hard Disk Drive (HDD)/Solid State Storage Drive (SSD), Power Supply Unit (SMPS), Chassis, Connecting Cables and Firmware & OS.

**(B)**

Percentage of procurement for which preference to domestically manufactured Servers is to be provided (in value terms)	Percentage domestic value addition in terms of Bill of Material (BOM) required for the Servers to qualify as domestically manufactured
<b>50%</b>	<b>40%</b>

**(C) Criteria for BOM to be classified as domestic:**

The domestic BOM of Server would be the sum of the cost of main inputs as specified in Column 1 of the following table, provided the inputs individually satisfy the value addition requirement specified in Column 2 of the table:

Main inputs in BOM/stages for manufacture of Server	Value addition required for the input to be classified as domestic BOM
1	2
Server Board/Mother Board/CPU	Domestic assembly and testing from imported/indigenously manufactured parts and components including value of Processor(s)* and excluding bare PCB
Memory	Domestic assembly of imported memory chips on imported/indigenously manufactured bare PCB/Domestic ATMP/fabrication/or combination
Hard Disk Drive/Solid State Storage Drive	Domestic assembly and testing from imported/indigenously manufactured parts and components
Semiconductors (i.e. the Semiconductor Chips and Modules including Processor and Memory on Server Board/Mother Board)	The value of only those Semiconductor Chips and Modules (including Processor and Memory) on the Server Board/Mother Board less the value of their indigenous design (for which IP is resident in India), on which ATMP operations are carried out domestically, will be taken as domestic BOM**
Cabinet + SMPS	Domestically manufactured Cabinet and domestic assembly and testing of SMPS from imported /indigenously manufactured parts and components subject to the condition that value of domestically manufactured parts and components used in the assembly of "SMPS" will be minimum 25% (of the total value of parts and components used in the manufacture of "SMPS")

Main inputs in BOM/stages for manufacture of Server	Value addition required for the input to be classified as domestic BOM
Bare PCB	Domestically manufactured from imported/indigenously manufactured inputs
Accessories (Power Cables, Connectors, etc.)	Domestic assembly and testing from imported /indigenously manufactured parts and components
(i) Final Assembly and Testing (ii) Design and Development	(i) Domestically assembled/tested and (ii) Intellectual Property (IP) resident in India for any of the above items. The value of IP resident in India for any of the above items shall be reduced from its value in the domestic BOM

*\* It is essential that, the Printed Circuit Board Assembly (PCBA) of the processor(s)/components on the bare PCB using the SMT process should mandatorily be done in India.*

*\*\* This shall be reviewed when the Semiconductor FAB in India is operational*

4. The Notification comes into effect immediately and would be reviewed after 31.03.2019.
5. This Notification shall remain valid till the revised Notification is issued.
6. The Electronic products Notification shall also be applicable to the Domestically Manufactured Electronic Products (DMEPs) covered in turnkey/system integration projects. In such cases the preference to DMEPs would be applicable only for the value of notified DMEPs forming part of the turnkey/system-integration projects and not on the value of whole project.
7. No Electronic Product Notification under the Public Procurement (Preference to Make in India) Order 2017 shall have retrospective effect.

## **8. Procedure for calculating local content/domestic value addition**

8.1 Bill of Material sourced from domestic manufacturers (Dom-BOM) may be calculated based on one of the followings depending on data available. Each of these calculations should provide consistent result.

- a. Sum of the costs of all inputs which go into the product (including duties and taxes levied on procurement of inputs except those for which credit/set-off can be taken) and which have not been imported directly or through a domestic trader or an intermediary.
- b. Ex-Factory Price of product minus profit after tax minus sum of imported Bill of Material used (directly or indirectly) as inputs in producing the product (including duties and taxes levied on procurement of inputs except those for which credit/set-off can be taken) minus warranty costs.
- c. Market price minus post-production freight, insurance and other handling costs minus profit after tax minus warranty costs minus sum of Imported Bill of Material used as inputs in producing the product (including duties and taxes levied on procurement of inputs except those for which credit /set-off can be taken) minus sales and marketing expenses.

8.2 Total Bill of Material (Total-BOM) may be calculated based on one of the following depending on data available. Each of these calculations should provide consistent result.

- a. Sum of the costs of all inputs which go into the product (including duties and taxes levied on procurement of inputs except those for which credit /set-off can be taken).
- b. Ex-Factory Price of product minus profit after tax, minus warranty costs.
- c. Market price minus post-production freight, insurance and other handling costs minus profit after tax, minus warranty costs minus sales and marketing expenses.

8.3 The percentage of domestic value-addition may be calculated based on information furnished as per the following formula:

$$\text{Percentage of domestic value-addition} = \frac{\text{Dom-BOM}}{\text{Total-BOM}} \times 100$$

It is recommended that each agency assessing should calculate the domestic local content/value-addition using at least two of the above formulae so as to validate the assessments in this regard and ensure that the domestic value addition that is claimed is consistent.

## 9. Verification of local content/Domestic Value Addition

a. The local supplier at the time of tender, bidding or solicitation shall provide self-certification that the item offered meets the minimum local content and shall give details of the location(s) at which the local value addition is made.

b. In cases of procurement for a value in excess of Rs. 10 crores, the local supplier shall provide a certificate from the statutory auditor or cost auditor of the company (in the case of companies) or from a practising cost accountant or practising chartered accountant (in respect of suppliers other than companies) giving the percentage of local content.

c. In case a complaint is received by the procuring agency or the concerned Ministry/Department against the claim of a bidder regarding local content/domestic value addition in an electronic product, the same shall be referred to STQC.

d. Any complaint referred to STQC shall be disposed of within 4 weeks. The bidder shall be required to furnish the necessary documentation in support of the domestic value addition claimed in an electronic product to STQC. If no information is furnished by the bidder, such laboratories may take further necessary action, to establish the bonafides of the claim.

e. A complaint fee of Rs.2 Lakh or 1% of the value of the domestically manufactured electronic products being procured (subject to a maximum of Rs. 5 Lakh), whichever was higher, to be paid by Demand Draft to be deposited with STQC. In case, the complaint is found to be incorrect, the complaint fee shall be forfeited. In case, the complaint is upheld and found to be substantially correct, deposited fee of the complainant would be refunded without any interest.

f. False declarations will be in breach of the Code of Integrity under Rule 175(1)(i)(h) of the General Financial Rules for which a bidder or its successors can be debarred for up to two years as per Rule 151 (iii) of the General Financial Rules along with such other actions as may be permissible under law.

10. MeitY shall be the Nodal Ministry to monitor the implementation of the Electronic Products Notification.

11. In case of a question whether an item being procured is an electronic product to be covered under the Public Procurement (Preference to Make in India) Order 2017, the matter would be referred to the Ministry of Electronics and Information Technology for clarification.

[F. No. 33(1)/2017-IPHW]

SANJAY KUMAR RAKESH, Jt. Secy.